उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-25/2015/3297/92-2-15-20जॉच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 31, दिसम्बर,2015

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झॉसी के अंतर्गत खलार सम्पर्क मार्ग एवं आचार्य विनोबा भावे कौशल प्रशिक्षण केन्द्र, लठवारा में मिनी आई0टी0आई0 के निर्माण में की गयी अनियमितताओं एवं शासकीय क्षति हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4369(2)/62-3-2006-01आरई/2001, दिनांक 24-07-2007 द्वारा श्री शिव पूजन सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झॉसी के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता, (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। शासन के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-07-2007 में श्री शिवपूजन सिंह (एस0पी0 सिंह) का नाम त्रुटिवश श्री एस0के0 सिंह अंकित हो गया था, अतएव शासन के पत्र दिनांक 26-10-2007 द्वारा उक्त त्रुटि को संशोधित किया गया है। कालान्तर में श्री शिवपूजन सिंह की सेवानिवृत्ति दिनांक 30-06-2010 के दृष्टिगत उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04-09-2015 द्वारा सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 28-12-2012 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की जॉच आख्या में श्री शिव पूजन सिंह के विरूद्व अधिरोपित आरोप स्थापित पाये गये। अतएव शासन के पत्र दिनांक 17-06-2013 द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में स्थापित आरोपों के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 20-07-13 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गये अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झॉसी के अंतर्गत खलार सम्पर्क मार्ग एवं आचार्य विनोबा भावे कौशल प्रशिक्षण केन्द्र, लठवारा में मिनी आई0टी0आई0 के निर्माण में हुई शासकीय क्षति में से रू0 1.25 लाख की वसूली अपचारी अधिकारी के सेवानैवृत्तिक देयकों (ग्रेच्युटी) से किये जाने के अनन्तिम विनिश्चित दण्ड के प्रस्ताव पर शासन के पत्र दिनांक 16-06-2015 द्वारा तदक्रम में पत्र दिनांक 08-09-2015 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी।

4- लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 21-11-2015 द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्व प्रस्तावित दण्ड पर आयोग ने अपनी सहमति निम्नवत प्रदान की है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

" ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झॉसी के अंतर्गत खलार सम्पर्क मार्ग एवं आचार्य विनोबा भावे कौशल प्रशिक्षण केन्द्र, लठवारा में मिनी आई0टी0आई0 के निर्माण में हुई शासकीय क्षति में से रू0 1.25 लाख की वसूली यू0पी0 रिटायरमेन्ट बेनीफिटस रूल्स, 1961 के पार्ट-5 के नियम-9(1) व (4) तथा वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 28-07-89 में विहित व्यवस्थानुसार, अपचारी अधिकारी श्री शिवपूजन सिंह( श्री एस0पी0 सिंह) तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झॉसी सम्प्रति सेवानिवृत्त की ग्रेच्युटी की धनराशि से की जाय।"

5- अतएव ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झॉसी के अंतर्गत खलार सम्पर्क मार्ग एवं आचार्य विनोबा भावे कौशल प्रशिक्षण केन्द्र, लठवारा में मिनी आई0टी0आई0 के निर्माण में हुई शासकीय क्षति में से रू0 1.25 लाख की वसूली यू0पी0 रिटायरमेन्ट बेनीफिटस रूल्स, 1961 के पार्ट-5 के नियम-9(1) व (4) तथा वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ0प्र0शासन के शासनादेश दि0 28-07-89 में विहित व्यवस्थानुसार, अपचारी अधिकारी श्री शिवपूजन सिंह (श्री एस0पी0 सिंह) तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झॉसी सम्प्रति सेवानिवृत्त की ग्रेच्युटी की धनराशि से किये जाने का दण्ड प्रदान करते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4369(2)/62-3-2006-01आरई/2001, दिनांक 24-07-2007 द्वारा श्री शिवपूजन सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही, जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1195/92-2-15-20(जांच)/2015 दिनांक 04-09-2015 द्वारा सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किया गया है, को एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

**<u>संख्या-25/2015/3297(1)/92-2-2015 तददिनांक।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री शिवपूजन सिंह,तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-झॉसी सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रा0 अभि0 विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र सं0-33/05/एडीसी/एस-12/2015-16 दिनांक 21-11-2015 के संदर्भ में।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in